भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5401

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अपशिष्ट प्रबंधन नीतियां

†5401. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों का ब्यौरा क्या है और क्या शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए हाल ही में इसको अद्यतन किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा, एआई-संचालित अपशिष्ट छंटाई और पुनर्चक्रण नवाचारों जैसी उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और वर्तमान वित्त वर्ष में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लैंडफिल निर्भरता को कम करने के लिए और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए नियोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): वर्तमान में देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (एसडब्ल्यूएम नियम, 2016) द्वारा शासित है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 9 दिसंबर, 2024 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 का मसौदा प्रस्तावित किया, जिसका उद्देश्य अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट का समाधान करना, सिरकुलर एकोनॉमी सिद्धांतों को बढ़ावा देना और निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना है।

(ख) से **(ड.)**: संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सौंपी गई है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, क्रियान्वित करना और संचालन करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है।

राज्यों/यूएलबी को सहायता प्रदान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल/प्रक्रिया मानक (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्श और दिशा-निर्देश जारी करता है। यूएलबी/राज्य सरकारें प्रौद्योगिकियों का चयन कर सकती हैं, जिससे उन्हें केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल और समय-समय पर जारी की गई परामर्शिकाओं में उल्लिखित किसी भी सिद्ध प्रौद्योगिकी को चुन सकते है।

एसबीएम-यू के तहत निधियां पूरे मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती है, न कि वार्षिक आधार पर। एसबीएम-यू 2.0 के तहत, मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपए है, जिसमें 36,465 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है।

इसके अलावा, एसबीएम-यू 2.0 के तहत, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी पूंजी को आमंत्रित करने के साथ-साथ शहरी सेवाओं की डिलीवरी और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) में निजी क्षेत्र की दक्षता लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। एसबीएम 2.0 ने इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप और उद्यमियों को शामिल करने के लिए स्वच्छता स्टार्ट-अप चैलेंज शुरू किया है।

*****